प्रथम सूचना रिपोर्ट
दं0प्र0सं0 की धारा 154 के अन्तर्गत

1. जिला पंचकूला थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला वर्ष 2014 प्र0सु0रि0स0 01 दिनांक 16.1.2014

2. धारा 409,420 आई.पी.सी.8 भ्रष्टाचार अधिनियम 1988

3. (क) अपराध की घटना : 2005–2006 से 2007–2008
   (ख) थाने में सूचना प्राप्त होने की तारीख : दिनांक 16.1.2014 समय 12.30 पी0एम0.
   (ग) रोजनामचा रिपोर्ट क्रम संख्या : 05

4. सूचना का प्रकार : लिखित

5. घटनास्थलः (क) पंचकुला

6. शिकायतकर्ता/सूचनादाता
   नाम नि0 सुरेश कुमार 191 एच.ए.पी
   पिता का नाम
   राष्ट्रीयता भारतीय
   व्यवसाय सरकारी नौकरी
   पता थाना रा0चौ0ब्यूरो, पंचकुला

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूरा विवरण
   डा0 वी.पी. सिंह राणा वासी गांव घामडोज थाना भौंडसी जिला गुड़गांव
   लिंग पुरूष
   भाषा हिन्दी

8. सूचनादाता द्वारा देरी से सूचना दिये जाने का कारण कोई नहीं

प्रथम सूचना रिपोर्ट का विवरण :– सेवा मे एस.एच.ओ. साहब जी, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकुला सैक्टर–17, पंचकुला, निवेदन है कि जांच क्रमांक 2 दिनांक 20.04.2012 पंचकूला, विरुद्व श्री के0 एल0 मन्हास, भा0व0से0, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा वन विभाग, पंचकूला, के विरूद्व दर्ज

रजिस्टर होकर कार्यालय मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के यादी क्रमांक 42/10/12–3 चौ0 (1) दिनांक 11.04.2012 की अनुपालना में दर्ज रजिस्टर होकर पड़ताल हेतू प्राप्त हुई थी। जिसमें डा0 वी0पी0 सिंह राणा वासी गांव घामडोज जिला गुडगांव व अन्य की शिकायत के आधार पर दर्ज रजिस्टर हुई थी जिसमे आरोप था कि श्री एल0के0 मिन्हास, आई0एफ0एस0, पी0सी0सी0एफ0–कम–एम0डी0, एच0एफ0डी0सी0 लि0 पंचकूला द्वारा जब वह सदस्य सचिव, स्टेट मैडिसन प्लांट बोर्ड, वन विभाग सैक्टर–6, पंचकूला मे कार्यरत थे तो औषधियों की खेती करने वाले कृषकों से कुल लागत की सबसिडी का 10 प्रतिशत हिस्सा रिश्वत लेकर दुसरी किस्त जारी करवाना । जिसकी पड़ताल श्री मनवीर सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, रा0चौ0ब्यूरो, पंचकूला द्वारा की गई थी जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तूत अन्तिम रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया है कि वर्ष 2002 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, आयूश विभाग भारत सरकार द्वारा औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय मैडिसनल प्लांट बोर्ड का गठन किया। इसी नीति अनुसार इस परियोजना राशि की कुल लागत का 30 प्रतिशत अनुदान होता है, जिसमें से पहली किस्त अनुदान के रुप में 30 प्रतिशत का आधा दिया जाता है। प्रथम किस्त अनुदान राशि के प्रयोग के बाद सम्बन्धित किसान को राज्य मैडिसनल प्लांट बोर्ड में उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करवाना होता है, उसके बाद राष्ट्रीय मैडिसनल प्लांट बोर्ड परियोजना ठीक पाये जाने पर दुसरी किस्त की राशि जारी करके राज्य मैडिसनल प्लांट बोर्ड को भेजता है। बोर्ड द्वारा सम्बन्धित किसान को यह राशि ड्राफट के माध्यम से सम्बन्धित बैंक को भेज दी जाती है। वर्ष 2005 में महात्मा गांधी मार्किट, कैथल में एग्री क्लीनिक क्रोप केयर सैन्टर कन्सलटैन्ट के नाम से दुकान खोलकर किसानों को औषधीय खेती करने की जानकारी देना, किसानों को औषधीय पौधें व बीज उपलब्ध करवाना, किसानों से उनकी परियोजना रिपोर्ट तैयार करने व सलाह देने के बदलें पांच से दस हजार रुपयें तक की फीस लेना पाया गया है। जो एग्री क्लीनिक व एग्री बिजनैस डिप्लोमा न होने के कारण किसानों को औषधि खेती बारें सलाह देने के लियें सक्षम नही था। श्री के0एल0 मन्हास, भा0व0सें0 को दिनांक 29.08.2007 को राज्य मैडिसनल प्लांट बोर्ड के सदस्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था। वर्ष 2005–06 में कुल 85 परियोजनाओं की मन्जूरी उपरान्त राष्ट्रीय मैडिसनल प्लांट बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा सबसिडी (अनुदान) की पहली किस्त 160.68 लाख रुपयें राशि सीधे ड्राफट के माध्यम से सम्बन्धित किसानों को दी गई। 26 किसानों को वर्ष 2010 में सबसिडी (अनुदान) की दूसरी किस्त 50.96 लाख रुपयें राज्य मैडिसनल प्लांट बोर्ड पंचकूला द्वारा राष्ट्रीय मैडिसनल प्लांट बोर्ड, नई दिल्ली से प्राप्त होने उपरान्त जारी की जानी पाई गई। वर्ष 2006–07 में कुल 75 परियोजनाओं की पहली किस्त 137.449 लाख रुपयें राष्ट्रीय मैडिसनल प्लांट बोर्ड, नई दिल्ली से प्राप्त होने पर राज्य मैडिसनल प्लांट बोर्ड द्वारा सबसिडी (अनुदान) की राशि ड्राफट के माध्यम से सम्बन्धित किसानों को तथा वर्ष 2006–07 में कुल 75 परियोजनाओं मे से 3 परियोजनाओं की दूसरी किस्त की राशि 5.48 लाख रुपयें

राष्ट्रीय मैडिसनल प्लांट बोर्ड, नई दिल्ली से प्राप्त होने पर राज्य मैडिसनल प्लांट बोर्ड, पंचकूला द्वारा सम्बन्धित किसानों को जारी की गई है। वर्ष 2007–08 में कुल 38 परियोजनाओं की मन्जूरी उपरान्त सबसिडी की राशि राष्ट्रीय मैडिसनल प्लांट बोर्ड, नई दिल्ली से प्राप्त होने उपरान्त राज्य मैडिसनल प्लांट बोर्ड, पंचकूला द्वारा 35 किसानों को सबसिडी की पहली किस्त 43.67 लाख रुपयें ड्राफट द्वारा जारी की जानी तथा तीन किसानों के कागजात पूरे न होने के कारण प्रथम किस्त जारी नही की गई जिन–2 किसानों को दुसरी किस्त की राशि अभी तक प्राप्त नही हुई, उन किसानों की दुसरी किस्त की मन्जूरी के लिये सभी औपचारिकतायें पूर्ण करके राष्ट्रीय मैडिसनल प्लांट बोर्ड, दिल्ली को लिखा। स्वीकृति उपरान्त दुसरी किस्त की अनुदान राशि प्राप्त हुई, वह सम्बन्धित किसानों को जारी की जानी नही पाई गई है। बोर्ड द्वारा सम्बन्धित किसानों को वर्ष 2005–06 व 2006–07 में ली गई अनुदान राशि के उपयोकिगता प्रमाण पत्र भेजने बारें बार–2 पत्र लिखें जाने पाये गये है। किसानों द्वारा उपयोकिगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण दुसरी किस्त की राशि उनको जारी नही करनी पाई गई है। डा0 वी0पी0 सिंह राणा की गतिविधियां सदिंग्ध पाई जाने पर श्री के0एल0 मन्हास, भा0व0सें0, सदस्य सचिव, राज्य मैडिसनल प्लांट बोर्ड, हरियाणा द्वारा नैशनल मैडिसनल प्लांट बोर्ड, दिल्ली को पत्र लिखते हुयें प्रार्थना की थी, कि वह अपने स्तर पर परियाजनाओं के क्रियान्यवय (लागू करना) की जांच करायें । जिस पर नैशनल मैडिसनल प्लांट बोर्ड, नई दिल्ली ने सरकारी हित में हरियाणा में अनुबन्धित कृषि परियोजना के मुल्यांकन हेतू एग्रीकल्चरल फाईनेंस कार्पोरेशन ने कैथल और करनाल के किसानों की अनुबन्धित कृषि परियोजना की मानिटिरिंग सम्बन्धित रिपोर्ट राष्ट्रीय मैडिसनल प्लांट बोर्ड, नई दिल्ली को भेजी। जिस पर राष्ट्रीय मैडिसनल प्लांट बोर्ड, नई दिल्ली ने राज्य मैडिसनल प्लांट बोर्ड, को दिनांक 02.07.2008 को निर्देश दिये, कि डा0 वी0पी0 सिंह राणा की गतिविधियों की जांच करवा कर इसकी छानबीन करें। जिसकी बोर्ड द्वारा जांच करवाने उपरान्त दिनांक 21.08.2009 व दिनांक 23.08.2009 को स्थानीय अखबारों मे डा0 वी0पी0 राणा के विरुद्व सलाह जारी करवा दी। जिस पर डा0 वी0पी0 राणा ने श्री के0एल0 मन्हास, भा0व0सें0 के प्रति रंजिश रखते हुये जिला करनाल के तीन किसानों श्री राजेश कुमार, बलवान सिंह वासीगण चोचड़ा जिला करनाल व श्री अशोक कुमार वासी गांव सालवन जिला करनाल को यह आश्वासन दिया कि वह उन्हें उनकी सबसिडी की दुसरी किस्त दिलवायेगा, जिसके लियें उन तीनों को अपने–अपने शपथ पत्र देने होंगे। दिनांक 21.05.2010 को डा0 वी0पी0 सिंह राणा ने उक्त तीनों किसानों को करनाल अदालत मे बुलाकर उनसे श्री के0एल0 मन्हास, भा0व0सें0 को उनकी सबसिडी की दूसरी किस्त जारी करवाने के बदले सबसिडी राशि का 10 प्रतिशत हिस्सा बतौर रिश्वत दिनांक 12.03.2009 को उनके कार्यालय वन भवन, सैक्टर–6, पंचकूला में देने बारे शपथ पत्र तैयार करवायें और यह शपथ पत्र श्री परवेज अहमद, भा0व0सें0 को शिकायत के रुप में दिलवायें जाने पाये गये है। डा0 वी0पी0 सिंह राणा शिकायतकर्ता द्वारा सर्व श्री जसबीर सिंह, सुरेन्द सिंह,

सतीश कुमार, अनिल, रणजीत, बलदेव, जसवन्त, मुकेश कुमार, फुल सिंह, कुलदीप सिंह, रामपाल, विक्रम, राजेश, मुनिश कुमार, हुक्त चन्द, रणबीर, रघुबीर, रामदयाल व राजेश कुमार, बलवान व अशोक कुमार शिकायतकर्ता निवासीगण जिला कैथल, करनाल व भिवानी से कुल 14,61,800/– रुपयें की राशि किसानों से बहला–फुसला कर धोखाधड़ी से उनकी सबसिडी की दूसरी किस्त जारी करवाने के बदले श्री के0एल0 मन्हास, भा0व0सें0 के नाम से ली जानी पाई गई है। डा0 वी0पी0 सिंह राणा ने अपने कथन मे भी माना है कि उसनें किसानों से श्री के0एल0 मन्हास, भा0व0सें0 को देने के लियें सबसिडी की दूसरी किस्त की राशि का 10 प्रतिशत कमीशन के रुप में किसानों से प्राप्त किया है, परन्तु डा0 वी0पी0 सिंह राणा ऐसा कोई तथ्य/साक्ष्य उपलब्ध नही करवा सका जिससे यह साबित हो सके, कि किसानों से जो राशि कमीशन के रुप में डा0 वी0पी0 सिंह राणा ने प्राप्त की, वह उसने श्री के0एल0 मन्हास, भा0व0सें0 को दी हों। बलवान सिंह, राजेश कुमार व अशोक कुमार शिकायतकर्ताओं ने भी अपने–अपने कथन मे माना है, कि डा0 वी0पी0 सिंह राणा ने उनसे सबसिडी की दूसरी किस्त जारी करवाने के बदलें, श्री के0एल0 मन्हास भा0व0से0 के नाम से 10 प्रतिशत की राशि कमीशन के रुप मे ली है। यह भी बताया कि उन्होनें श्री के0एल0 मन्हास, भा0व0से0 को कोई राशि सबसिडी की दूसरी किस्त जारी करवाने के बदले बतौर रिश्वत नही दी है, बल्कि यह राशि उनसे डा0 वी0पी0 सिंह राणा ने ली थी। अतः जांच पर पाया गया कि विभागीय अधिकारियों की आपसी रंजिश के कारण डा0 वी0पी0 राणा ने तीनों शिकायतकर्ताओ को माध्यम बनाकर श्री के0एल0 मन्हास, भा0व0से0 को रिश्वत देने का आरोप लगाकर, ये शपथ पत्र देने प्राप्त किये जाने पाये गये है। श्री के0एल0 मन्हास, भा0व0से0 के विरुद्व लगाये गये आरोप में कोई सच्चाई सामने नही आई है, बल्कि डा0 वी0पी0 सिंह राणा द्वारा किसानों को बहला–फुसला कर व धोखाधड़ी से परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, औषधीय पौधों के बीज मंहगी दरों पर उपलब्ध करवाने व विभाग के अधिकारियों के नाम से किसानों को उनकी सबसिडी की दूसरी किस्त जारी करवाने के बदले कुल 14,61,800/– रुपयें की राशि रिश्वत के रुप में लेनी पाई गई है। डा0 वी0पी0 सिंह राणा के विरुद्व मुकदमा धारा 409, 420, भा0दं0सं0 व 8 भ्रष्टाचार अधिनियम के अर्न्तगत अंकित करवाये जाने का सुझाव दिया जाना पाया गया है । इस लिए डा0 वी0पी0 सिंह राणा पुत्र श्री भोज राज गांव घामडोज, थाना भौंडसी, जिला गुड़गांव के विरूद्व उपरोक्त धाराओं के तहत अभियोग अकिंत करवाये जाने का सुझाव निदेशक रा0चौ0ब्यूरों पंचकूला के पत्र क्रमांक 25537/रा0चौ0ब्यूरो(ह) पंचकूला दिनांक 30.10.13 के अनुसार अन्तिम रिपोर्ट मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग चण्डीगढ़ को भेजी गई थी । जिसका परिक्षण करने उपरान्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 42/10/12–3 चौ0 (1) दिनांक 17.12.13 के अनुसार डा0 श्री वी0पी0 सिंह राणा वासी गांव घामडोज थाना भौंडसी जिला गुडगांव के विरूद्व 409, 420 आई.पी.सी. व धारा 8 भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर करने के आदेश प्राप्त हुए है अतः श्री

डा0 वी0पी0 सिंह राणा पुत्र श्री भोज राज गांव घामडोज, थाना भौंडसी, जिला गुड़गांव के विरूद्व धारा 409, 420, भा0दं0सं0 व 8 भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज करने के लिए तहरीर दी जा रही है । मुकदमा दर्ज करके तहरीर कायमी मुकदमा आईन्दा तफतीश मौखिक आदेश अफसरान बाला पुलिस अधीक्षक रा0चौ0ब्यूरो,ह0 पंचकूला मन निरीक्षक के हवाले की जाये व अभियोग अकित करके प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्वच्छ प्रतियां ईलाका मैजीस्ट्रेट व अफसरान बालान की सेवा मे भिजवाई जाये । अज थाना हस्त–नि0 सुरेश कुमार 191 एच.ए.पी थाना रा0चौ0ब्यूरो, पंचकूला अज थाना हस्ब आमद तहरीर पर मुकदमा हजा वाजुर्म अनुसार दर्ज रजिस्टर किया जा कर कार्बन कापीयां तैयार की गई जो बजरिया डाक अफसरान बाला व इलाका मैजीस्ट्रेट की सेवा मे भेजी जा रही है मन निरीक्षक ने नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर रखी गई जिसका आईन्दा अध्ययन करके तफतीश अमल मे लाई जावेगी।

हस्ता/–
नि0 सुरेश कुमार 191 एच.ए.पी
थाना रा0चौ0ब्यूरो, पंचकूला।